353

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–2) विभाग

क्रमांक–प.9(2)प्रसु/अनु–2/2014 जयपुर, दिनांक–20/01/2015

परिपत्र

विषयः–विधान सभा प्रश्नों के प्रति उत्तरों के संबंध में वर्तमान में 100 प्रतियों के स्थान पर 20 प्रतियॉ को उपलब्ध करवाने के संबंध में।

राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित विषय/बिन्दुओं पर विधानसभा सत्र के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते है, उनके उत्तर वर्तमान में पूर्व प्रचलित प्रकिया अनुसार 100 प्रतियों में विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते है, जो अत्यधिक श्रम एवं व्ययपूर्ण है।

विधानसभा प्रश्नों के प्रतिउत्तर राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन भेजे जाते है, और विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचिबद्ध प्रश्नों के प्रति उत्तर प्रश्न काल के तत्काल बाद ऑनलाईन कर दिये जाते है। जिसे विधानसभा की वेबसाईट से आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

सचिव, राजस्थान विधानसभा के पत्रांक एफ7(1)प्रश्न/विस/2013–14/56799 दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 द्वारा माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने विधानसभा प्रश्नों के प्रति उत्तरों की 100 प्रतियों के स्थान पर 20 प्रतियॉ भिजवाये जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है।

अतः कृपया भविष्य में विधानसभा सत्र के दौरान सूचिबद्ध प्रश्नों के प्रति उत्तरों की 20 प्रतियॉ ही राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/ राज्य मंत्री
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.26(9)संसद/2014 दिनांक 5.1.2015 के क्रम में।
7. रक्षित पत्रावली ।

(नरेन्द्र कुमार नैनावत)
शासन उप सचिव